क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

पत्रांक: 2094/NGT-199/2023-24 दिनांक 02/02/2024

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
**E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com**

**Sub: Report of the Joint Committee in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi Order dated 30.11.2023 in Original Application No-710/2023 Sushil Raghav Vs State of U.P. & Ors.**

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject, the Joint Committee inspected the site on 20.01.2024. The Joint Committee in compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 30.11.2023 in OA No-710/2023 Sushil Raghav Versus State of U.P. & Ors. is hereby annexed for kind perusal and further necessary action and directions.

**Enclosure: Joint report.**

Yours Sincerely

(Vikas Mishra)
Regional Officer

Copy to:

1. District Magistrate, Ghaziabad for information.
2. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
5. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

# BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
# PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
# ORIGINAL APPLICATION NO. 710 OF 2023
# (I.A. No. 835/2023)

**IN THE MATTER OF:**

Sushil Raghav ...Applicant(S)

Versus

State of U.P. & Ors ...Respondent(s)

**INDEX**


| S.No. | Description | Pg.No. |
|---|---|---|
| 1. | Status Report in Compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 30.11.2023 in OA 710/2023 | 1-4 |
| 2. | **Annexure-I** –Copy of UPPCB letter dated 20.01.2024 and 29.01.2024 | 5-6 |
| 3. | **Annexure-II** –Copy of Nagar Nigam, Ghaziabad letter dated 30.01.2024 | 7-10 |


**FILED BY**


**Vikas Mishra**
Regional Officer, UPPCB,
Ghaziabad

**Joint Report with respect to Hon'ble NGT order dated 30.11.2023 passed in the matter of Sushil Raghav Vs State of U.P. & Ors in OA No-710/2023 (I.A. No-835/2023).**

1- **Background and directions of Hon'ble National Green Tribunal:**

The matter in OA No-71/2023 (I.A. No-835/2023) is related to a grievance against:

"That the park was earmarked at Rajendra Nagar Industrial Colony on G.T. Road Mile 8/7, Sahibabad, Ghaziabad but the Ghaziabad Municipal Corporation is undertaking the activity of construction of road/pathway on the land earmarked for park and is also constructing the drain and shifting the boundary of the park by reducing the park area"

**In this matter it was directed by Hon'ble National Green Tribunal vide order dated 30.11.2023 that:**

".........5. We also form a committee comprising of the Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, concerned Divisional Forest Officer and District Magistrate, Ghaziabad who will carry out the spot inspection, ascertain the correct position on the spot and file action taken report before the Tribunal within six weeks Tribunal by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The District Magistrate will be the nodal officer in the Committee......."

2- **Compliance of order of Hon'ble National Green Tribunal:**

In compliance of Hon'ble National Green Tribunal, a joint committee was nominated comprising of following members:-

1- Shri Chandresh Kumar Singh, Additional City Magistrate-I, Ghaziabad nominated by District Magistrate, Ghaziabad.
2- Shri Vikas Mishra, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad.
3- Shri Shashank Gupta, Range Forest Officer, Social Forestry Division, Ghaziabad.

**3- Action Taken Report:**

In compliance of Hon'ble National Green Tribunal, a joint committee visited the site on 20.01.2024 to ascertain the factual position on the spot and based on observation the following points were identified:

1- It was observed that the park is earmarked in the name of Jagjeevan Park, which is situated at Rajendra Nagar industrial colony, G.T. Road Sahibabad, Ghaziabad.
2- During visit joint team found that the boundary wall of the said park in three sides is constructed of brick masonry while one side of boundary wall is made temporally made of tin sheet. There was no permanent boundary wall made of bricks on one side, it could not be clear whether the construction work of the said temporary tin-sheet boundary wall was done by reducing the land of the park or not. During visit joint team observed that no work related to construction of drain or shifting of boundary wall was being carried out. Plantation was done in the Babu Jag Jeevan Ram park by Nagar Nigam, Ghaziabad.
3- In compliance of Hon'ble National Green Tribunal direction dated 30.11.2023 Municipal Commissioner, Ghaziabad, Nagar Nigam was requested by U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad vide letter dated 20.01.2024 and 29.01.2024 to obtain more details of the said park under

reference from revenue so as to further ascertain and conclude the matter. Copy of said letter is annexed at **Annexure-I.**

4- In reply to above a report from Additional Municipal Commissioner, Ghaziabad Nagar Nigam was received on 30.01.2024. According to the said letter it reveals that the encroachment free area of the park is 10880 sqm and area of park on which Babu Jag Jeevan Ram Colony built illegally is 7120 sqm. Hanuman temple and Municipal Corporation's Sulabh toilet are also built in the park. Copy of the said letter is annexed as **Annexure-II**.

4- **<u>Photographs taken during visit:</u>**

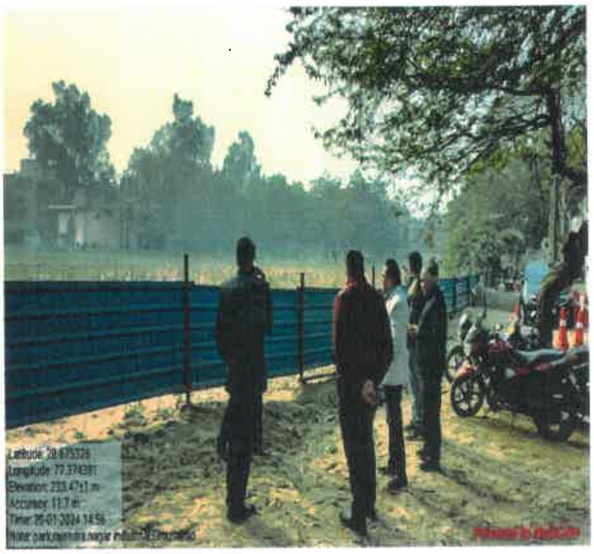

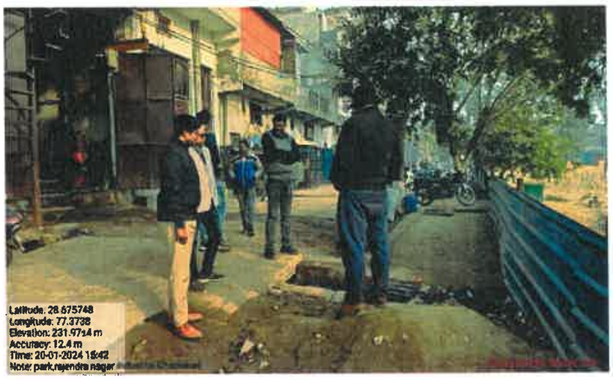

The above report is submitted for kind perusal and necessary action.

| | | |
|---|---|---|
| (Shashank Gupta)<br>Range Forest Officer<br>Social Forestry Division<br>Ghaziabad. | (Vikas Mishra)<br>Regional Officer<br>U.P. Pollution Control Board<br>Ghaziabad. | (Chandresh Kumar Singh)<br>Additional City Magistrate-I,<br>Ghaziabad. |

Annexure - I



क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 2021/NGT/OA No-710/2023/2024 दिनांक 20/01/2024

**मा0 एनजीटी/समयबद्ध प्रकरण**

सेवा में,
नगर आयुक्त,
नगर निगम,
गाजियाबाद।

**विषयः मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित OA No-710/2023 (I.A. No-835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 30.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित OA No-710/2023 (I.A. No-835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 30.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (छायाप्रति संलग्न)। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2023 मे निम्न निर्देश दिये गये है:–

*"1. In this original application, Applicant has raised the grievance that the park was earmarked at Rajendra Nagar Industrial Colony on G.T. Road Mile 8/7, Sahibabad, Ghaziabad but the Ghaziabad Municipal Corporation is undertaking the activity of construction of road/pathway on the land earmarked for park and is also constructing the drain and shifting the boundary of the park by reducing the park area. The plea of the Applicant is that park is required to be preserved in view of the order of the Tribunal in the matter of Residents Welfare Association vs. State of Haryana reported in 2019 SCC On Line NGT 2797.*

*2. Learned Counsel for the Applicant submits that the National Clean Air Program has been formulated in terms of Section 16(2)(b) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 which requires the concerned authorities to maintain the green area and in the present case, reduction of green area violates the National Clean Air Program also. He has further submitted that the impugned activity also violates the short-term action plan relating to 'Non-Attainment Cities' which requires the Forest Department to maintain greening of open area, gardens, community places, etc..."*

उपरोक्त आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु आज दिनांक 20.01.2024 को अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम, गाजियाबाद, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि शिकायती स्थल जगजीवनराम पार्क, राजेन्द्र नगर औधोगिक कॉलोनी, जी0टी0 रोड, साहिबाबाद, गाजियाबाद मे तीन तरफ पर ईट निर्मित पक्की स्थाई बाउण्ड्रीवाल निर्मित पायी गयी तथा एक तरफ टिन से निर्मित अस्थाई वाउण्ड्रीवाल पायी गयी। उक्त एक तरफ पर कोई ईट निर्मित स्थाई बाउण्ड्रीवाल न होने से स्पष्ट नही हो सका कि उक्त अस्थाई टिन रूपी बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पार्क की भूमि को कम करते हुए किया गया है अथवा नही। निरीक्षण के समय नाली का निर्माण अथवा बाउण्ड्रीवाल की शिफ्टिग सम्बन्धी कोई कार्य होता नही पाया गया।

अतः उक्त के सम्बन्ध मे आपसे अनुरोध है कि पार्क के क्षेत्रफल की पैमाईश कराते हुए शिकायत का निराकरण करते हुए तदानुसार कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे ससमय अनुपालन आख्या प्रेषित की जा सकें। अग्रेतर अवगत कराना है कि प्रकरण मे सुनवाई की अग्रिम तिथि 05.02.2024 नियत है।

**संलग्नकःउपरोक्तानुसार।**

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
(AEE)

क्षेत्रीय कार्यालय—उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in 29/01/2024

संदर्भ संख्या : 2061/NGT/OA 710/2023/2024 दिनांक 28/01/2024

सेवा में,
नगर आयुक्त,
नगर निगम,
गाजियाबाद।

**मा0 एनजीटी / समयबद्ध प्रकरण**
**अनुस्मारक—1**

**विषयः मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित OA No-710/2023 (I.A. No-835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 30.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय के पत्रांक 2021 / एनजीटी / ओ0ए0नं–710 / 2023 / 2024 दिनांक 20.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली मे योजित OA No-710/2023 (I.A. No-835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 30.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, (छायाप्रति संलग्न)। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2023 मे निम्न निर्देश दिये गये है:–

*"1. In this original application, Applicant has raised the grievance that the park was earmarked at Rajendra Nagar Industrial Colony on G.T. Road Mile 8/7, Sahibabad, Ghaziabad but the Ghaziabad Municipal Corporation is undertaking the activity of construction of road/pathway on the land earmarked for park and is also constructing the drain and shifting the boundary of the park by reducing the park area. The plea of the Applicant is that park is required to be preserved in view of the order of the Tribunal in the matter of Residents Welfare Association vs. State of Haryana reported in 2019 SCC On Line NGT 2797.*

*2. Learned Counsel for the Applicant submits that the National Clean Air Program has been formulated in terms of Section 16(2)(b) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 which requires the concerned authorities to maintain the green area and in the present case, reduction of green area violates the National Clean Air Program also. He has further submitted that the impugned activity also violates the short-term action plan relating to 'Non-Attainment Cities' which requires the Forest Department to maintain greening of open area, gardens, community places, etc..."*

उपरोक्त आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु आज दिनांक 20.01.2024 को अपर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम, गाजियाबाद, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि शिकायती स्थल जगजीवनराम पार्क, राजेन्द्र नगर औधोगिक कॉलोनी, जी0टी0 रोड, साहिबाबाद, गाजियाबाद मे तीन तरफ पर ईट निर्मित पक्की स्थाई बाउण्ड्रीवाल निर्मित पायी गयी तथा एक तरफ टिन से निर्मित अस्थाई वाउण्ड्रीवाल पायी गयी। उक्त एक तरफ पर कोई ईट निर्मित स्थाई बाउण्ड्रीवाल न होने से स्पष्ट नही हो सका कि उक्त अस्थाई टिन रूपी बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पार्क की भूमि को कम करते हुए किया गया है अथवा नही। निरीक्षण के समय नाली का निर्माण अथवा बाउण्ड्रीवाल की शिफ्टिग सम्बन्धी कोई कार्य होता नही पाया गया।

अतः उक्त के सम्बन्ध मे आपसे पुनः अनुरोध है कि पार्क के क्षेत्रफल की पैमाईश कराते हुए शिकायत का निराकरण करते हुए तदानुसार कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे ससमय अनुपालन आख्या प्रेषित की जा सकें। अग्रेतर अवगत कराना है कि प्रकरण मे सुनवाई की अग्रिम तिथि 05.02.2024 नियत है।

**संलग्नकःउपरोक्तानुसार।**

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

**क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108**
**मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010**

Annexure-II

# कार्यालय नगर निगम गाजियाबाद

पत्रांकः- 05 /विधि/2023-24 दिनांकः- 30/01/2024

प्रेषक,

अपर नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गाजियाबाद।

विषयः-मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-710/2023 (आई0ए0 संख्या-835/2023) सुशील राघव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-30.11.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय संन्दर्भ संख्या-2021/एन0जी0टी0/ओ0ए0 संख्या-710/2023/24 दिनांक-20.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक-30.11.2023 को पारित आदेशों के अनुपालन में प्रश्नगत जगजीवन पार्क, राजेन्द्र नगर औद्यागिक कॉलोनी जी0टी0 रोड़ साहिबाबाद, गाजियाबाद में स्थित पार्क के क्षेत्रफल की पैमाईश कराते हुये कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु किये गये अनुरोध के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित राजस्व टीम जिसमें तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल व नगर निगम सम्पत्ति विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिनांक-01.06.2023 को स्थल पर स्थलीय निरीक्षण करते हुये आख्या व स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया जो पत्र के साथ संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

तदानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

*संलग्न यथोक्तः-*

भवदीय

30.1.24

अरूण कुमार यादव
(पी0सी0एस)
अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

11/08/23

PA NA
Cov-Letter -AMC(GH)

# कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
# OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD

फोन नम्बर (0120) 2821616, 2820106, 2828798 (फैक्स)

पत्र संख्या : 4542 /एस0टी0–डी0एम0/कलेक्ट्रेट/2023 दिनांक : 9 - अगस्त, 2023

नगर आयुक्त

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

कृपया अवगत कराना है कि श्री सुभाष सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष–हिन्द मजदूर किसान पंचायत, उ0प्र0 कार्यालय–बाबू जगजीवन राम कालौनी, राजेन्द्रनगर साहिबाबाद, गाजियाबाद के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 27–05–2023 में उल्लिखित तथ्यों की जॉच तहसीलदार सदर से करायी गयी। तहसीलदार सदर ने अपनी जॉच आख्या दिनांकित 09–06–2023 प्रेषित की है, जिसके अन्तर्गत प्रकरण नगर निगम से सम्बन्धित होने के कारण कार्यवाही अपेक्षित है।

सम्बन्धित जॉच आख्या मूल रूप में मय संलग्नकों सहित इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया प्रकरण के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

**प्रतिलिपि :** श्री सुभाष सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष–हिन्द मजदूर किसान पंचायत, उ0प्र0 कार्यालय–बाबू जगजीवन राम कालौनी, राजेन्द्रनगर साहिबाबाद, गाजियाबाद को उनके उपरोक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

8

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्रांक 4160/एस.टी./डी.एम./क्लेक्ट्रेट गाजियाबाद/2023 दिनांक 29.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। सन्दर्भित प्रकरण श्री सुभाष सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिन्द मजदूर किसान पंचायत उ0प्र0 कार्यालय बागू जग जीवन राम कॉलोनी राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद के शिकायती प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतु महोदय के द्वारा राजस्व टीम गठित की गई, जिसमें श्री प्रतीत सिंह चौहान नायब तहसीलदार (टीम प्रभारी) श्री गजेन्द्र सिंह राजस्व निरिक्षक, साहिबाबाद, श्री मनोज कुमार व सुरेन्द्र सिंह, लेखपाल तहसील गाजियाबाद व नगर निगम गाजियाबाद द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी, को दिनांक 01.06.2023 को स्थल पर उपस्थित होकर शिकायत में वर्णित तथ्यों का गहन्तापूर्वक परीक्षण कर संयुक्त आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जॉच आख्या निम्न प्रकार

ग्राम साहिबाबाद परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद के खाता खतौनी सं0–205 के खसरा सं0–203/0.4300, 204/0.089, 205/0.4050, 209मि0/0.1900, 216/2/0.076, 218मि0/0.6830, 235मि0/0.7080, 236/1/0.4430, 240मि0/0.7460, 241मि0/0.6400, 218मि0/0.013, 210मि0/0.6960, कुल नम्बरान 12 कुल योग 5.1190 हेक्टेयर पर प्रताप चन्द्र पुत्र ठाकुर दास निवासी ग्राम के नाम संकमणीय भूमिधर (श्रेणी–1क) के रूप में नाम अंकित हैं।

प्रताप चन्द पुत्र ठाकुर दास के नाम के सम्बन्ध में राजेन्द्र नगर इंडस्ट्रीयल ऐरिया में बनी फैक्ट्रीयों व आस–पास के गण मान्य व्यक्तियों से पूछ–ताछ तथा फैक्ट्री स्वामी के बैनामा का अवलोकन भी किया गया हैं। अवलोकन उपरान्त पाया कि बैनामे में विकेता का नाम प्रीतम चन्द्र चावला पुत्र श्री लाला ठाकर दास प्रोपराईटर देना एण्ड कम्पनी, 18ए, चौरंगी रोड, कलकत्ता अंकित हैं। जबकि राजस्व अभिलेखों में प्रताप चन्द्र पुत्र ठाकुर दास निवासी ग्राम अंकित हैं। फैक्ट्री स्वामियों के द्वारा भी मूल विकेता को कलकत्ता का निवासी बताया गया हैं। प्रीतम चन्द्र चावला पुत्र ठाकर दास के नाम वर्णित भूमि का स्थलीय सत्यापन व आवश्यक पैमाईश कर, नजरिया नक्शा बनाया गया, नजरिया नक्शा के अनुसार प्रतीम चन्द्र चावला पुत्र ठाकर दास के नाम कुल क्षेत्रफल 51,190 वर्ग मीटर हैं। 33190 वर्ग मीटर में राजेन्द्र नगर इंडस्ट्रीयल ऐरिया व रास्ते बने हुए हैं। पार्क का अतिकमण मुक्त क्षेत्रफल 10880 वर्ग मीटर तथा पार्क का वह क्षेत्रफल जिस पर अवैद्य तरीके से बाबू जग जीवन राम कॉलोनी बनी हुई हैं उसका क्षेत्रफल 7120 वर्ग मीटर हैं। पार्क में हनुमान मंदिर तथा नगर निगम का शुलभ शौचायल बना हुआ हैं, पार्क में एक जग जीवन राम स्कूल भी बना था। जो जर्र–जर्र हालत में हो गया था जिसको नगर निगम गाजियाबाद ने चुनाव से पूर्व ही गिरा दिया था। वर्तमान में पार्क की देखरेख/मरम्मत का कार्य नगर निगम गाजियाबाद द्वारा किया जा रहा हैं। प्रकरण में राजस्व अभिलेखों में विकित भूमि के सम्बन्ध में दाखिल–खारिज खतौनी पर अंकित नहीं हैं। प्रकरण की वस्तु स्थिति महोदय की सेवा में सादर प्रस्तुत हैं।

06/06/2023
सुरेन्द्र सिंह लेखपाल
क्षेत्र........
तह0 व जिला – गाजियाबाद

संलग्नक–
नजरिया नक्शा।

08-06-2023

ग्राम – [illegible] में, खसरा सं: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

216/2 / 0.076, 218मि० / 0.6830, 235मि० / 0.7080, 236/1 / 0.4430, 240मि० / 0.7460, 241मि० / [illegible], 2[illegible]मि० / [illegible]

210मि०/0.6960 कुल योग 12, कुल क्षे०: 5-119 हे०, [illegible]

उपरान्त नजरी नक्शा :—

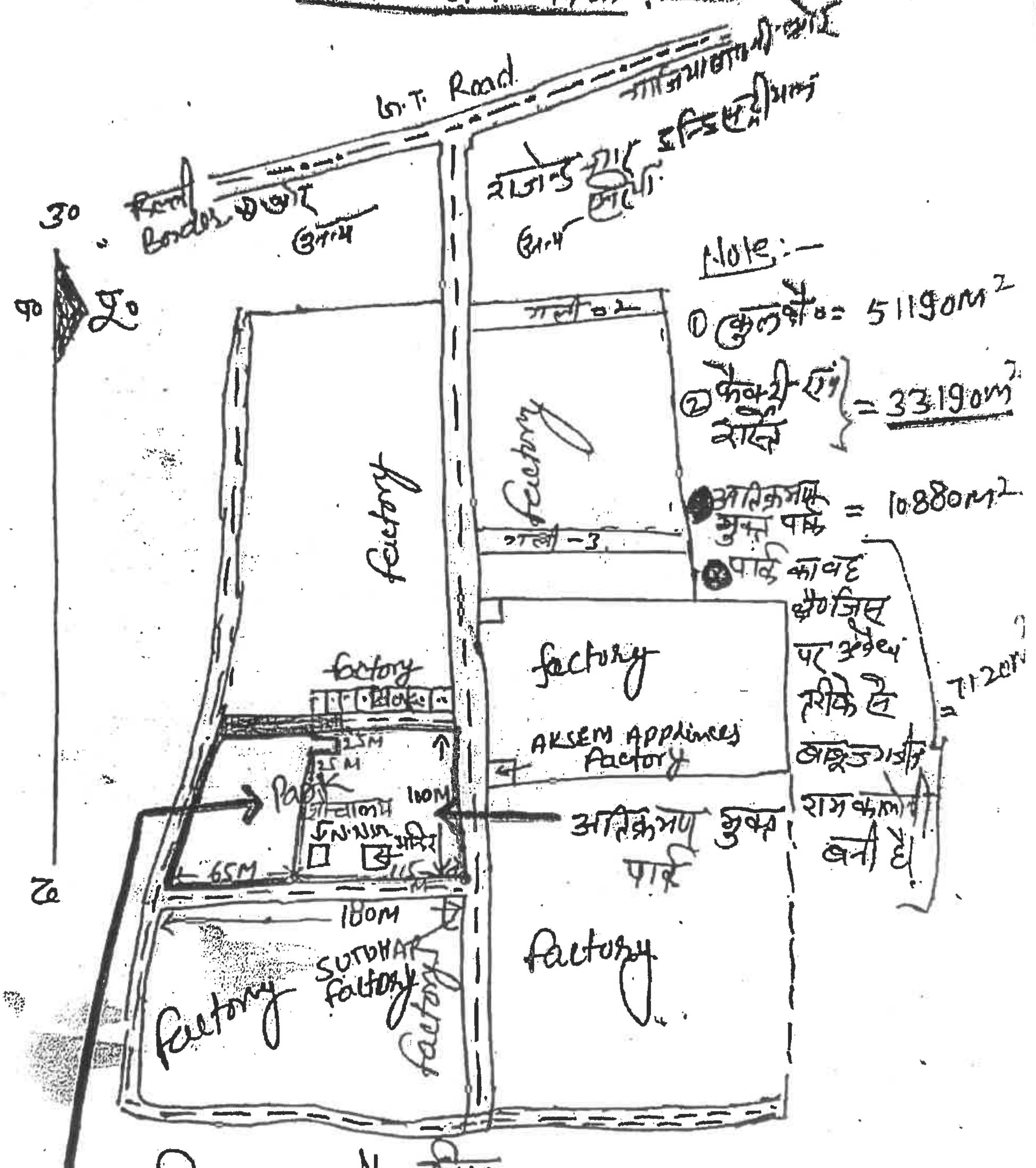


पार्क का वह ½ जिस पर अवैध तरीके से बाबू जगजीवन राम कलोनी बनी है!

06.06.2023
सुरेन्द्र सिंह लेखपाल
क्षेत्र
तह० व जिला – गाजियाबाद

[illegible] 06/2023
R.I.